



लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

खण्ड-3, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

फोन नम्बर- 0771-331385 Email- cg.dpi.dir@gmail.com



क्रमांक/अनुदान/CBSE/NOC/2018-19/
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक .06.2018

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ।

विषय:-राज्य शासन द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत- अशासकीय लीलास पब्लिक स्कूल मोतीपुर, पाटन, जिला दुर्ग ।

संदर्भ:-जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के पत्र क्रमांक/5909/मान्यता/सी.बी.एस.ई.अना./ 2018/
दिनांक 10.05.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा अशासकीय लीलास पब्लिक स्कूल मोतीपुर, पाटन, जिला दुर्ग को सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबद्धता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुक्रम में किया गया।

प्रस्ताव का परीक्षण टीप निम्नानुसार है:-

- 1/ कार्यकारिणी में माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सदस्य का नामांकन होना चाहिये :-
संस्था की कार्यकारिणी में छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि के रूप में सहायक सचिव मान्यता को नामांकित किया गया है। (ध्वज-1)
- 2/ विभागीय अनापत्ति हेतु संस्था को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समस्त आवश्यक अभिलेख सहित आवेदन पत्र की प्रति संलग्न है। (ध्वज-2)
- 3/ सी.बी.एस.ई. से संबद्धता उपरान्त संस्था राज्य शासन द्वारा आयोजित स्काउट्स गार्ड्स, रेडक्रास, एन.सी.एसी. एवं एन.एस.एस. की गतिविधियों में भाग लेगी, शपथ पत्र के क्रमांक 03 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 4/ विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों को गतिविधियों के लिए खेल मैदान, छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करावेंगे, शपथ पत्र के क्रमांक 04 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 5/ इन संस्थाओं के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा, शपथ पत्र के क्रमांक 05 में उल्लेख है। (ध्वज-3)

निरंतर पेज 2..

- 6/ केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से संबद्धता प्राप्त होने पर संस्थाएँ छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग व लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंधन एवं विकास के संबंध में जारी तथा अन्य निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगी, शपथ पत्र के क्रमांक 06 में उल्लेख किया गया है। (ध्वज-3)
- 7/ जि.शि.अधि. दुर्ग के आदेश क्रमांक 5619 दिनांक 02.05.2018 के द्वारा प्राचार्य, शास.उ.मा.वि. जामगांव (एम) जिला दुर्ग को संस्था की प्रबंध कार्यकारिणी समिति में छ.ग.शासन शिक्षा विभाग का शासकीय प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। (ध्वज-4)
- 8/ प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे, शपथ पत्र के क्रमांक 08 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 9/ अशासकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रवेश संबंधी नियम व प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा समय प्रकाशित की जायेगी। शिक्षण शुल्क लेने में पालको का शोषण नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 09 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 10/ छात्र/छात्राओं को शालाओं में लगने वाली पुस्तकों एवं लेखन सामग्री खुली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी। संस्था द्वारा छात्रों को उक्त सामग्री किसी दुकान विशेष से क्रय करने को बाध्य नहीं किया जावेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 10 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 11/ शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकारी द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 11 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 12/ संस्था के छात्रों को निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापस निवास तक भेजने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एल.पी.जी. आदि से संचालित नहीं किया जायेगा, शपथ पत्र के क्रमांक 12 में उल्लेख है। (ध्वज-3)
- 13/ निःशक्त छात्रों के लिए संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, शपथ पत्र के क्रमांक 13 में पत्र में उल्लेख है। (ध्वज-3)

- 14/ संस्था को पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रायिकता का बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं छ.ग. शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी, शपथ पत्र के क्रमांक 14 में उल्लेख है।
(ध्वज-3)

सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. पाठ्यक्रम से संबंधिता के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली के अनुदेश के अनुक्रम में निम्नांकित जानकारी प्रस्तुत की गई है :-

- 1/ प्रस्तावित शाला को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिये।
जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग के आदेश क्रमांक/433/मान्यता/2016-17/दिनांक 27.12.2016 के द्वारा अशासकीय लीलास, पब्लिक स्कूल मोतिमपुर पाटन जिला दुर्ग को कक्षा नर्सरी से 08 वीं तक के लिये शाला संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। (ध्वज-5)
- 2/ विद्यालय सोसायटी के पास भूमि:- संस्था के पास स्वयं की भूमि एवं शाला भवन है। जिसका क्षेत्रफल, कुल 2.97 एकड़ है। बिल्डअप एरिया 31200.00 स्क्वायर मीटर है। खेल मैदान 118867.00 स्क्वायर फीट है। भूमि का नक्सा, अधीक्षक भू अभिलेख द्वारा प्रदाय प्रपत्र-बी इत्यादि अभिलेख की छायाप्रति। (ध्वज-6)
- 3/ संस्था में कम्प्यूटर लैब, ग्रंथालय खेल सामग्री इत्यादि की समुचित व्यवस्था है। (ध्वज-7)
- 4/ संस्था में कक्षा नर्सरी से कक्षा 8वीं तक 10 अप्रैल 2018 की स्थिति में कुल 188 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। संख्या कक्षावार छात्र संख्या की जानकारी संलग्न है। (ध्वज-8)
- 5/ विद्यालय में कुल 12 शिक्षक कार्यरत हैं। स्टाफ की सूची (पद, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान सहित जानकारी) संलग्न है। (ध्वज-9)
- 6/ शिक्षण समिति का नाम मेसर्स लीलास फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एण्ड हेल्थ है, पंजीयन क्रमांक U80302CT2011NPL022507 दिनांक 01.06.2011 है। कम्पनी के बायलॉज एवं डायरेक्टरस के नाम की जानकारी संलग्न है। (ध्वज-10)
- 7/ स्कूल में पेयजल, अग्नि शमन यंत्र उपलब्ध होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न है। (ध्वज-11)
- 8/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु संबंधित स्कूल का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (ध्वज-12)
- 9/ विगत तीन वर्षों 2014-15 एवं 2016-17 का आडिट प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। (ध्वज-13)
- 10/ स्कूल में पालक संघ समिति गठित संबंधी जानकारी संलग्न है। (ध्वज 14)
- 11/ शिक्षण शुल्क विवरण प्रस्तुत किया गया है। (ध्वज-15)

निरंतर पेज 4

जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा उक्त संस्था को सी.बी.एस.ई पाठ्यक्रम के सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने बाबत अनुशंसा किया गया है। अतः अशासकीय अशासकीय लीलास पब्लिक स्कूल मोतीपुर, पाटन, जिला दुर्ग को सी.बी.एस.ई. से सम्बद्धता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

हस्ताक्षर/

संचालक(अका.)

लोक शिक्षण संचालनालय

छत्तीसगढ़

पृष्ठांक/अनुदान/CBSE/NOC/2018-19/ 342 नया रायपुर दिनांक 18.06.2018
प्रतिलिपि:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. प्राचार्य, अशासकीय लीलास पब्लिक स्कूल मोतीपुर, पाटन, जिला दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

संचालक(अका.)

लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़